

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी—

श्री नरेश कुमार मालव
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

63/प्रा0पत्र/2018

16.04.2018

07.05.2018

राधेश्याम आ0 किशोर जाति प्रजापत निवासी आमली, तहसील एवं जिला बून्दी (राजस्थान)

— प्रार्थी

उपस्थित :-


प्रार्थी की ओर से — श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक।

—: निर्णय :-

राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961 की धारा 65(ख) राजस्थान कोर्ट फीस स्टाम्प वैल्यूएशन रूल्स 1961 के नियम 27(1) तथा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(5) वित्त कर 03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार कोर्ट फीस स्टाम्प रिफण्ड के लिये श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी के आदेश क्रमांक 646-649/रीडर/2018 दिनांक 12.04.2018 से अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी को अधिकृत किया गया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी राधेश्याम आ0 किशोर जाति प्रजापत निवासी आमली, तहसील एवं जिला बून्दी ने जयें अभिभाषक श्री रामदत्त शर्मा के द्वारा दिनांक 16.04.2018 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र.सं.-02, बून्दी के न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 43/2016 उनवान राधेश्याम बनाम मनभर वगे0, के वाद का लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिसमें प्रार्थी को कोर्ट फीस 98385/- रुपये वापस लौटाये जाने का आदेश पारित हुआ है। न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस भुगतान हेतु प्रारूप संख्यांक C/18/45 दिनांक 14.03.2018 जारी किया गया है। अतः प्रार्थी को कोर्ट फीस राशि 98385/- रुपये का भुगतान किया जावे।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं.-02, बून्दी के प्रारूप संख्यांक C/18/45 दिनांक 14.03.2018 से प्रार्थी को न्याय शुल्क (कोर्ट फीस) राशि 98385/- रुपये (अक्षर- अट्ठयानवे हजार तीन सौ पिच्चासी रुपये) लौटाने के आदेश दिये गये हैं। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं.-02, बून्दी के आदेश की पालना में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कोर्ट फीस स्टाम्प 25000/- रुपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 011389 से 011391, 5000/- रुपये के 04 नग, स्टाम्प नम्बर 136961 से 136964 1000/- रुपये के तीन नग, स्टाम्प नम्बर 068587 से 068589, 100/- रुपये के 03 नग, स्टाम्प नम्बर 047258 से 047260 50/- रुपये का एक नग एवं 10/- रुपये के तीन नग तथा 05/- का एक नग कुल नग 18, कुल स्टाम्प राशि 98385/-रु0 राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 2 (5) F.D./कर/03 दिनांक 24.06.2003 के अनुसार राजस्थान कोर्टफीस एण्ड सूट वेलूऐशन रूल्स 1961 के नियम 27 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी को 98385/- रुपये राज्य सरकार के पत्रांक प. 2 (32) F.D./कर/06 दिनांक 07.03.2007 के अनुसार स्टाम्प रिफण्ड कटौती 6.25 प्रतिशत की दर से 6149/- रु0 की कटौती करते हुये शेष राशि 92236/-रुपये (अक्षर- बानवे हजार दौ सौ छत्तीस रुपये) का भुगतान प्रार्थी श्री कृष्ण कुमार पौद्धार आ0 उमाशंकर पौद्धार जाति महाजन निवासी कुएं वाली गली बाहरली बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी को करने की स्वीकृति दी जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 07.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव, R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बून्दी (राज0)